उपनिदेशक (के०) कैन्प
संख्या 108
दिनांक 13/11/19

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–2
संख्या 2090/26–2–2019
लखनऊः दिनांकः 14 नवम्बर, 2019

कार्यालय–आदेश

प्राविधिक शिक्षा विभाग के राजाज्ञा सं0–1275ई0डी0/18–भा0–27ई0 डी0/65, दिनांक 07.06.1969 के द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत सहायता प्राप्त 94 औद्योगिक एवं प्राविधिक शैक्षिक और अशैक्षिक संस्थाओं को समाज कल्याण निदेशालय के नियंत्रण में स्थानान्तरित किया गया, तभी से उक्त संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने तथा परीक्षाओ के आयोजन का कार्य निदेशक, समाज कल्याण द्वारा संपादित किया जा रहा है। शासनादेश सं0–4820/छब्बीस–2–588/77, दिनांक 04.09.1979 द्वारा संस्थाओं के समाज कल्याण विभाग में स्थानान्तरण की तिथि से निदेशक, समाज कल्याण द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदत्त प्रमाण पत्र शासनादेश में पाठ्यक्रमों के सम्मुख अंकित विभागों के नियत्रंणाधीन पदों पर भर्ती हेतु मान्य किये जाने के आदेश दिये गये। शासनादेश सं0–2658/29–1–2016–2(नियम)2015, दिनांक 16.05.2016 द्वारा उक्त संस्थाओं की परीक्षाओं के संचालन हेतु निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में "औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0" परीक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। वर्ष 2017 से परीक्षायें आयोजित कराने व प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य परिषद के अध्यक्ष/निदेशक समाज कल्याण द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 04.09.1979 में अंकित कतिपय ट्रेडों के नाम तथा प्रशिक्षण अवधि में संशोधन/पुनरीक्षण वर्ष 2017 में किया गया है।

अतः शासनादेश सं0–4820/छब्बीस–2–588/77, दिनांक 04 सितम्बर 1979 में दिये गये आदेशों के अनुक्रम में अद्यावधिक स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के अध्यक्ष/निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वर्तमान में संचालित ट्रेडों में प्रदत्त प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पदों पर भर्ती हेतु उ0प्र0 सरकार के अन्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं की भांति दिये जा रहे समतुल्य प्रशिक्षण के अनुसार मान्य होंगेः–

क0सं0	ट्रेड का नाम	पूर्व प्रचलित नाम	प्रशिक्षण अवधि
1	2	3	4
1	इलेक्ट्रीशियन	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर	02 वर्ष
2	फिटर	जनरल मैकेनिक	02 वर्ष
3	मैकेनिक–डीजल इंजन	डीजल मैकेनिक	01 वर्ष
4	मैकेनिक–मोटर व्हीकल	मोटर मैकेनिक	02 वर्ष

UO 2019

5	आरमेचर बाइंडर	—	01 वर्ष
6	ड्राफ्ट मैन—मैकेनिकल	—	02 वर्ष
7	ड्राफ्ट मैन—सीविल	—	02 वर्ष
8	रेफिजरेशन एण्ड एयरकंडीशनिंग	—	02 वर्ष
9	रेडियो एण्ड टी0वी0	—	02 वर्ष
10	कारपेंटर	जनरल उडवर्क व एडवांस उडवर्क	01 वर्ष
11	टीचर्स ट्रेनिंग उडवर्क		01 वर्ष
12	वेल्डर	—	01 वर्ष
13	प्लम्बर	—	01 वर्ष
14	वायरमैन	—	02 वर्ष
15	लेदर वर्किंग	—	02 वर्ष
16	लेदर टैनिंग	—	02 वर्ष
17	एलीमेंट्री वीविंग एण्ड डाइंग	—	02 वर्ष
18	एडवांस वीविंग एण्ड डाइंग	—	01 वर्ष
19	सीविंग टेक्नोलॉजी	टेलरिंग एण्ड कटिंग तथा कटिंग एण्ड सीविंग	01 वर्ष
20	फैशन डिजायन एण्ड टेक्नोलॉजी	—	01 वर्ष
21	टेलरिंग एण्ड एलाइड क्राफ्ट कोर्स	—	02 वर्ष
22	एडवांस टेलरिंग कोर्स	—	01 वर्ष
23	सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस—अंग्रेजी	—	01 वर्ष
24	हेयर एण्ड स्किन केयर	—	01 वर्ष
25	फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्रिजर्वेशन	—	01 वर्ष
26	कम्प्यूटर आपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट	—	01 वर्ष

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

संं0—2090 (1)/26—4—2019—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2— निदेशक, समाज कल्याण विभाग/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

3— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज/उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

5— सचिव, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजूकेशन लखनऊ/बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, कानपुर नगर।

6— सचिव, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)
उप सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या— सी- 1066 स0क0/अनु0/प्रा0शि0सं0/2019—20,

लखनऊः दिनांक : 06 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश।

4— सचिव, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 मोहान रोड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वह अपने स्तर से समस्त विभागीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को आदेश की प्रति प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक।